सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री उम्मेदसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2018/08 दायरा दिनांक 08.01.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1.गोपालसिंह पुत्र मंगलसिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी डाकड़ा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम	1. नाथूसिंह पुत्र मंगलसिंह 2. जोरसिंह पुत्र मंगलसिंह 3. आसूसिंह पुत्र मंगलसिंह 4. बजरंगसिंह पुत्र मंगलसिंह 5. रतनसिंह पुत्र मंगलसिंह 6. तीजकंवर पत्नि मंगलसिंह 7. श्रीमान उप–पंजीयक महोदय मौलासर 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी,बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा , 88, 53 188 राज. काश्त.अधि.

उपस्थित–

1. श्री जितेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06।

–: निर्णय :–

दिनांक 18.01.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा डाकड़ा की सरहद में पैत्रिक खेत ख.न. 561/97 रकबा 02 बीघा गै. मु. ढाणी वादी प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की संयुक्त खातेदारी की जमीन है। नकल खतौनी पेश है।

वाके सरहद डाकड़ा में स्थित पैत्रिक खेत ख.न. 561/97 रकबा 02 बीघा गै. मु. ढाणी वादी प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन है।चूंकि पक्षकारान एक ही वंशज से सम्बंधित है।इसलिए इस खसरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तक ने अलग–अलग रूप से रहवासी मकानात बना रखे है व रहवास कर रहे हैं।इस खसरा में सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति व सुलबुझ से कुछ भूमि सिरीयी उपयोग व उपभोग की खाली छोड़ रखी है।जो कि पक्षकारान के परिवार में विवाह व उत्सवों ईत्यादि में संयुक्त रूप से काम आती है।

वाके सरहद डाकड़ा में स्थित पैत्रिक खेत ख.न. 561/97 रकबा 02 बीघा गै. मु. ढाणी की भूमि में से खाली संयुक्त रूप से प्रयोग व उपयोग व उपभोग की भूमि पर से वादी को बेजा अचल सम्पति का नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रतिवादी संख्या 01ता 06 तक ने एक नाजायज गुट बना कर उक्त खसरा की सिरीयी उपयोग व उपभोग की संलग्न नजरी नक्शा अनुसूचि .अ. में दर्शित भूमि को अकेले हड़प करने

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की नियत से उक्त भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।जिस पर वादी ने इनको ओलमा दिया तो इन लोगों ने वादी को कहा कि हम तो इस भूमि पर निर्माण करके इसको हडप करेगें। यदपि प्रतिवादी संख्या 01ता 06 तक को उक्त सिरौली उपयोग व उपभोग की भूमि पर अकेले-अकेले निर्माण करने का कोई हक अधिकार शेष नही है।उक्त खसरा की भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा भी नही हो रखा है।इस खसरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तक प्रत्येक का 1/7 हक व हिस्सा व अधिकार मौजूद है।इसलिए वादी की और से प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तक के विरूद्ध यह वाद पत्र घोषणा बन्टवारा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का लाजमी होने के कारण पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी है कि

वाके शहरद डाबडा में स्थित पैत्रिक खेत ख.न. 561/97 रकबा 02 बीघा गै. मु. ढाणी वादी प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तक के मध्य प्रत्येक के 1/7 के हक अधिकार के अनुसार विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस मौके पर अलग-अलग बन्टवारा फरमाकर तदनुसार स्वतन्त्र रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 16.01.2018 को वादी व प्रतिवादी 01 ता 06 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01,ता 06 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री विरेन्द्रसिंह राठौड ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री अजीतसिंह राठौड ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:: आदेश ::—

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके शहरद डाबडा में स्थित पैत्रिक खेत ख.न. 561/97 रकबा 02 ब़ीघा गै. मु. ढाणी वादी प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तक के मध्य प्रत्येक के 1/7 के हक अधिकार के अनुसार विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से राजीनामा के अनुसार बन्टवारा किया जाता है।राजीनामा, व अनुसुचि ,,अ,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **16.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/08 दायरा दिनांक 16.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1.गोपालसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी डाबडा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. नाथूसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. जोरसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. आसूसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. बंजरगसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. रेवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह 6. तीजकंवर पत्नि भंवरसिंह 7. श्रीमान उप–पंजीयक महोदय मौलासर 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा घोषणा खातेदारी,बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा , 88, 53 188 राज. काश्त.अधि.

दिनांक 16.01.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी की और से अधिवक्ता विरेन्द्रसिंह राठौड व श्री, श्री अजीतसिंह राठौड प्रतिवादी, संख्या 01 ता 06 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके शहरद डाबडा में स्थित पैत्रिक खेत ख.न. 561/97 रकबा 02 बीघा गै. मु. ढाणी वादी प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 तक के मध्य प्रत्येक के 1/7 के हक अधिकार के अनुसार विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से राजीनामा के अनुसार बन्टवारा किया जाता है।राजीनामा, व अनुसुचि ,,अ,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग..........–.............. बाबत....................–............ आज की तारीख को अदा ......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.01.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मिजान			मजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—08—**2018**/रीडर/2017/ दिनांक

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा घोषणा खातेदारी,बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा , 88, 53 188 राज. काश्त.अधि.

वादी		प्रतिवादीगण
1.गोपालसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी डाबडा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. नाथूसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner